



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या

1/2018-19

दिनांक 18.05.2018

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 14.06.2018
आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 18.06.2018
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि : 25.06.2018

‘विशेष सूचना:- (क) ‘बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थीयों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।’ (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थीयों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

अभ्यर्थीयों द्वारा आवेदन करने के उपरान्त आनलाइन आवेदन के हार्ड कापी के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आनलाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वाणिजीक अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतिवाचों संलग्न कर (दिनांक 25/06/2018 साथं 5:00 बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थीयों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन **SUBMIT** करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के लिये आवश्यक सूचना यह विज्ञापन आयोग की Website <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु “आनलाइन आवेदन पद्धति” (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आनलाइन आवेदन ही करें।

“आनलाइन आवेदन” करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1. आयोग की <http://uppsc.up.nic.in> पर “**ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS**” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग है-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आनलाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थीयों को आनलाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु ‘APPLY’ पर Click करें।

“आनलाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जॉर्ज लैं एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो ‘Click here to modify’ पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लैं।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर ‘Click here to proceed for payment’ कैप्सन के साथ ‘Fees to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक ‘MOPS (Multi Option Payment System)’ का Home Page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENTS MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लैं।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form (Part-2)’ पर क्लिक

करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उलेख आनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवश्यक (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्राप्त पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद ‘PREVIEW’ को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लैं कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु ‘Submit’ बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशनुसार आनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक ‘Submit’ बटन को Click करके अभ्यर्थी अपने पास सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थीयों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन **SUBMIT** करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

गणित/जैव-रसायन विज्ञान/विधि विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस)/सूक्ष्म जीवविज्ञान/जैवबौद्धिकी/अनुवांशिकी/नाभिकीय विज्ञान/कम्प्यूटर विज्ञान/कृषिविज्ञान/मनोविज्ञान/भूगोल सात्र/वानिकी विज्ञान (फॉरिस्ट साइंस)/पर्यावरण विज्ञान में एम०एस०सी००/एम०टेक००/एम०फार्मा००/एम०बी०वी०एस००/एम०डी००/दन्त विज्ञान में एम०एस००/रेडियोलॉजी००/सांख्यिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में बी०टेक००/इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में बी०टेक०० अथवा बी०एस००ी०० के साथ गणित में एम०ए०। 2- उपर्युक्त खण्ड-1 में उल्लिखित विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम 15 वर्षों के शोध कार्य के अनुभव के साथ उपर्युक्त को सम्मिलित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में कम से कम 3 वर्ष निदेशक और इसके ऊपर अथवा इसके समकक्ष कार्य करने की प्रशासनिक क्षमता का न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अहंताएं- 1- उपर्युक्त विषयों में से किसी एक में डॉक्टरेट (पी०एच०डी००) की उपाधि। 2- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक कार्यवाही की अनुभव। (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘बी’ प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा: 40 से 57 वर्ष।

संस्कृति निदेशालय, 30प्र०

निम्नलिखित विषयों में सहायक निदेशक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा (सामान्य चयन)। पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थायी, वेतन बैण्ड- 3 रु०- 15,600-39,100 तथा ग्रेड पे रु०- 5400/-

क्र. सं.	पद का नाम	विभाग संख्या	रिक्त पद	श्रेणी
1	सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला)	एस-3/05	02	अनारक्षित
2	सहायक निदेशक (विधि)	एस-3/06	01	अनारक्षित
(1) सहायक निदेशक (सामान्य/निष्पादन कला) पद हेतु- अनिवार्य अहंताएं- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहंता। (ख) कला में 5 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अहंताएं- (क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कला में डिलोमा। (ख) ह				

(1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (11) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (2) संग्रहालयाध्यक्ष पद हेतु - अनिवार्य अर्हताएं - (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व एवं संस्कृति में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा या किसी प्रतिष्ठित संग्रहालय में कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं - (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत या पाली विषय के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ग) पुरातत्व या लोक कला के क्षेत्र में प्रकाशित लेख या अन्य प्रकाशन। अन्य अधिमानी अर्हताएं - (1) जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु- 21 से 40 वर्ष (अधिकतम आयु में छूट नियमानुसार)।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, ३०प्र०

11 (ग्यारह) पद औषधि निरीक्षक, (सामान्य चयन), (विभाग संख्या- सेवा-8/70), पद का स्वरूप राजपत्रित/स्थाई, परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष, कुल रिक्तियों की संख्या 2 आरक्षण निम्नवत् हैं-

कुल रिक्तियां	अनारक्षित	अ0पि0वर्ग	अनु0जाति	अनु0जनजाति
11	07	02	02	-

क्षेत्रिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा। वेतनमान- रु० ८० लेवल-७ रु० 44900-142400/- व अन्य भत्ते शासनादेशानुसार। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता-औषधि निरीक्षक पद पर सीधी-भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं:- (1) नैदानिक भेषज विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजिकी विज्ञान या आर्योविज्ञान में उपाधि या समकक्ष उपाधि, (2) (क)- औषधि और गया हा। किसी प्रकार के प्रैइवेट प्रैविटेस को अनुमति नहीं होगा आपनु अध्यथा को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैविटेस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किये जाने वाले अध्यर्थी को जनहित में ३०४० के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। नोट - अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम०सी०आई० से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अध्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

रेशम विकास विभाग, ३०प्र०

03 (तीन) पद सहायक निदेशक (रेशम उत्पादन), (सामान्य चयन), (विभाग संख्या- सेवा-9/01), पद का स्वरूप- राजपत्रित/अस्थाई (नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना-2005), आरक्षण- अनारक्षित श्रेणी, परिवीक्षा अवधि 02 वर्ष, वेतनमान- 15600-39100 (प्रेड पे-5400/-) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10), आयुः 21 से 40 वर्ष। (आयु में छूट नियमानुसार)। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या बी0एस-सी0 कृषि के साथ विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त रेशम उत्पादन संस्था से प्रशिक्षण। (3) रेशम उत्पादन में दो वर्ष का अनुभव। अधिमानी अर्हताएं- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने - (1) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० (एलोपैथी)

09 (नौ) पद आचार्य (एलोपैथी) (सामान्य चयन), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई, आरक्षण- अनारक्षित। वेतनमान- रु. 37,400/- से 67000/- + दूजीपौरी 10,000/-। विशिष्टावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत है :-

क्र. सं.	पद/विशिष्टता का नाम आचार्य	रिकियों की सं०	सामा-न्य	अनु० जाति	अ०पि० वर्ग	अनु०जन जाति	विभाग संख्या
1	पैथालॉजी	01	01	00	00	00	सेवा-8/71
2	कम्युनिटी मेडिसिन	01	01	00	00	00	सेवा-8/72
3	सामान्य मेडिसिन	01	01	00	00	00	सेवा-8/73
4	पीडियाट्रिक्स	02	02	00	00	00	सेवा-8/74
5	आर्थोपेडिक्स	01	01	00	00	00	सेवा-8/75
6	आब्स. एवं गायनी.	02	02	00	00	00	सेवा-8/76
7	एनेस्थीसिया	01	01	00	00	00	सेवा-8/77
	कल योग	09	09	00	00	00	

अनिवार्य अर्हतायें :- क्र.सं.-1 : आचार्य (पैथालाजी) (क) एम0डी0 (पैथालाजी) पी0एच0डी0 (पैथालाजी)/डी0एससी0 (पैथालाजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एस00 प्रोफेसर पैथालाजी के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इडेक्स्ट पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। क्र.सं.-2 : आचार्य (कम्युनिटी मेडिसिन) (क) एम0डी0 (सोशल एण्ड विएन्टर्प मेडिसिन)/एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एस00 प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इडेक्स्ट पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। क्र.सं.-3 : आचार्य (सामान्य मेडिसिन) (क) एम0डी0 (मेडिसिन)/एम0डी0 (सामान्य मेडिसिन) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। (ख) एस00 प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के रूप में अनुमत/स्वीकृत/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। (ग) इडेक्स्ट पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। क्र.सं.-4 : आचार्य (पीडियाट्रिक्स) (क) एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स)

(1) 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 03 पद (2) 30प्र0 के अनु0 जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये- 02 पद, पद का स्वरूप - राजपत्रित, वेतनमान - रु0- 15600-39100, ग्रेड वेतन- 5400/-, परिवीक्षा अवधि - 02 वर्ष। आयु सीमा - 21 से 40 वर्ष (आयु सीमा में छूट अद्यतन शासनादेश के अनुसार)। विभाग संख्या - 9/03, अर्हताएं- (अ) अनिवार्य - (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (2) राज्य चिकित्सा परिषद, 30प्र0 में रजिस्ट्रीकृत हो। (अद्यतन पुष्ट प्रमाण संलग्न करें)। (ब) अधिमानी अर्हताएं - ऐसे अभ्यर्थी जिसने- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या (3) औषध, शल्य चिकित्सा, वक्षरोग, स्त्रीरोग विज्ञान, बालरोग विज्ञान, विकृन्ति विज्ञान, कान नाक गला, नेत्र विज्ञान, विकिरण विज्ञान, विकलांग विज्ञान, चर्मरोग, रतिरोग एवं मनोरोग विज्ञान में स्नोतकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। आवेदक की अन्तिम तिथि के पूर्व एक वर्ष की रोटरी इन्टर्नशिप पूर्ण होनी चाहिए। आवेदक इस सम्बन्ध में पुष्ट प्रमाण अवश्य संलग्न करें। अन्य शर्तें - समय-समय पर शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा तथा प्राइवेट प्रैक्टिस अथवा कन्सलटेंट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य होम्योपैथी चिकित्सा सेवा

उत्तर प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 494 (चार सौ चौरानबे) पद। विभाग संख्या- सेवा-11/01, पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं स्थाई। वेतनमान- लेवल-10 रु 56100-177500/-, रिक्तियों का विवरण:-

पद का नाम	कुल रिक्तियां	सामान्य/ अनार- क्षित	30	30	30	क्षेत्रिज आरक्षण		
			प्र०	प्र०	प्र०	के महिला	के दिव्यांग	के डी.
होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	494	264	158	65	07	98	07+07 =14	09

शैक्षिक अर्हताएँ - अनिवार्य- (एक) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिग्री, जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार पाँच वर्ष से कम न हो या होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त कोई डिलोमा जिसके अध्ययन की अवधि उसके पाठ्य विवरण या पाठ्यक्रम के अनुसार चार वर्ष से कम न हो। (दो) प्रार्थी को होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् ३०५० से सम्यक रूप रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अधिमानी अर्हता:- ऐसे अभ्यर्थी जिसने, (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैटेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **आयु:-** न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार) परन्तु यह और कि राज्यपाल आयोग की संस्तुति पर किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थी के पक्ष में उच्चतर आयुसामान को शिथिल कर सकते हैं। **नोट:-**(१) पद नवीन पेंशन योजना से आछादित है। (२) सामान्य वर्ग की महिलायें पिता पक्ष से उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें महिला आरक्षण का लाभ अनुमत्य नहीं होगा। (३) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अर्हता से सम्बन्धित सभी वर्षों की अंकतालिकाओं को संलग्न करते हुए कुल प्राप्तांक/पूर्णांक/प्रतिशत का उल्लेख आवेदन पत्र में करें अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिये प्रवक्ता के निम्नलिखित पद
(सामान्य चयन)

क्र. सं.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	अनारक्षित	30प्र० के ओ0बी0सी0	30प्र० के एस0सी0	30प्र० के एस0टी0	विभाग संख्या
1	प्रवक्ता कुल्लियात	01	01	-	-	-	एस-11/02
2	प्रवक्ता इलाज बिद तदबीर	03	02	-	01	-	एस-11/03
3	प्रवक्ता तहफ़ुजी व समाजी तिब	01	01	-	-	-	एस-11/04
4	प्रवक्ता इल्मुल अतफाल	01	01	-	-	-	एस-11/05

पद का स्वरूप - राजपत्रित एवं अस्थाई। वेतनमान - लेवल - 10 रु 15600-39100/-, ग्रेड वेतन - रु 5400/-, अर्हताएं - अनिवार्य - (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में पांच वर्ष की उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी अर्हता - (1) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। आयु - न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। अन्य शर्त एवं अर्हता - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट - (1) 30प्र० सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पैशंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से

उच्च प्रदेश याज्ञ आयर्वेदिक चिकित्सा सेवा

उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 544 (पांच सौ चौवालिस) पद। (सामान्य चयन) (विभाग संख्या : सेवा - 11/06), पद का स्वरूप - राजपत्रित एवं स्थाई।

पद का नाम	कुल रिक्ति- न्य / अना- रक्षित	सामा- न्यो वर्गी	३०प्र०	३०प्र०	३०प्र०	क्षैतिज आरक्षण		
			के अ०	के अन०	के अनु०	३०प्र० के महि० ला	३०प्र० के दिव्यांग जन (ओ०१०, ओ०१८०, पी०३१० श्रेणी)	३०प्र० के डी. एफ. एफ.
आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी	544	404	111	-	29	108	16	10

क्रमांक-10, शाक्षक अहताप - अननवाय - (क) भारत में वाया द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में उपाधि। या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद में पांच वर्ष की उपाधि या डिप्लोमा। (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद 30 प्र०

पृष्ठ का शेष

से वैद्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण, और (ग) राज्य के आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम 6 मास का व्यावसायिक अनुभव। अधिमानी अहंता - किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि। आयु - न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। अन्य शर्त एवं अहंताएं - नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों, कालेजों फार्मेसी में स्वीकृत चिकित्साधिकारी के पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। नोट - (1) शासन की वर्तमान नीतियों/आदेशों के अनुसार पैशन अनुमन्य होगी। (2) सामान्य वर्ग की महिलायें पिता पक्ष से उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें महिला आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। (3) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अहंता से सम्बन्धित सभी वर्षों की अंकतालिकाओं को संलग्न करते हुए कुल प्राप्तांक/पूर्णांक/प्रतिशत का उल्लेख आवेदन पत्र में करें अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।

खेल निवेशालय उप्रो

शुद्धि-पत्र

(1) सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 दिनांक 30.12.2016 द्वारा खेल निवेशालय उप्रो के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक प्रशिक्षक के 05 पद विज्ञापित किये गये थे:-

क्र. सं.	पद	विभाग का नाम	रिक्त पद	सा न्य	उप्रो के अन्य पिछड़ा वर्ग	उप्रो के अनुसूचित जाति	उप्रो के अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहायक प्रशिक्षक (फुटबॉल)	एस- 3/05	01	01	-	-	-
2	सहायक प्रशिक्षक (लानटेनिस)	एस- 3/06	01	01	-	-	-
3	सहायक प्रशिक्षक (टेबुलटेनिस)	एस- 3/07	01	01	-	-	-
4	सहायक प्रशिक्षक (भारोतोलन)	एस- 3/08	01	01	-	-	-
5	सहायक प्रशिक्षक (क्रिकेट)	एस- 3/09	01	01	-	-	-
	योग-		05	05	-	-	-

शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक अहंताओं में संशोधन किया गया है। तदनुसार विज्ञापित पद की संशोधित अहंतायें निम्नवत् हैं - अनिवार्य अहंताएं- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बैंगलौर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान गवालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से डिप्लोमा। 3- दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। अधिमानी अहंताएं- 1- खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव। 2- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। अन्य अधिमानी अहंताएं- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- 1- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोट- 1- उक्त पद के लिये विज्ञापन की शेष शर्तें यथा पदों की संख्या, आयु सीमा, आयु गणना की निश्चयक तिथि, पद का स्वरूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क आदि वही होंगे जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 में अंकित हैं। (दिनांक 14-20 जनवरी, 2017 का रोजगार समाचार देखें)। 2- मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 के संदर्भ में जो अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त संशोधित अहंताओं के संदर्भ में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 का अध्ययन अवश्य कर लें।

(2) सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 दिनांक 30.12.2016 द्वारा खेल निवेशालय उप्रो के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रीड़ाधिकारी के 05 पद विज्ञापित किये गये थे:-

क्र. सं.	पद	विभाग का नाम	रिक्त पद	सा न्य	उप्रो के अन्य पिछड़ा वर्ग	उप्रो के अनुसूचित जाति	उप्रो के अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्रीड़ाधिकारी (वालीवाल)	एस- 3/10	01	01	-	-	-
2	क्रीड़ाधिकारी (लानटेनिस)	एस- 3/11	01	01	-	-	-
3	क्रीड़ाधिकारी (जिम्मास्टिक)	एस- 3/12	01	01	-	-	-
4	क्रीड़ाधिकारी (तैराकी)	एस- 3/13	01	-	01	-	-
5	क्रीड़ाधिकारी (बास्केटबॉल)	एस- 3/14	01	-	01	-	-
	योग-		05	03	02	-	-

शासनादेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 द्वारा उक्त पद की शैक्षिक अहंताओं में संशोधन किया गया है। तदनुसार विज्ञापित पद की संशोधित अहंतायें निम्नवत् हैं - अनिवार्य अहंताएं- 1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। 2- सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बैंगलौर, कोलकाता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान गवालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों, से डिप्लोमा। 3- दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। अधिमानी अहंताएं- 1- खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का एक वर्ष का अनुभव। 2- शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। अन्य अधिमानी अहंताएं- अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- 1- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2-

राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोट- 1- उक्त पद के लिये विज्ञापन की शेष शर्तें यथा पदों की संख्या, आयु सीमा, आयु गणना की निश्चयक तिथि, पद का स्वरूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क आदि वही होंगे जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 में अंकित हैं। (दिनांक 14-20 जनवरी, 2017 का रोजगार समाचार देखें)। 2- मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 के संदर्भ में जो अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त संशोधित अहंताओं के संदर्भ में जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व मूल विज्ञापन संख्या- 4/2016-17 का अध्ययन अवश्य कर लें।

प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेप्टरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र। 13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अहंताओं की पुष्टि हेतु डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अहंताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामले में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं 0 18/1/2008 - का-2-2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या-22/21/1983-का-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1983 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या-22/16/92-टी.सी.-III/का- 2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यालयी) /नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा निर्धार

पृष्ठ का शेष

details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details Here

you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <http://uppsc.up.nic.in> in

CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

:-NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

:-ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration

2. Fee Deposition /Reconciliation

3. Submit Application Form

:-APPLICATION FORM STATUS

View Application Status

List of Applications Having photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

:-EXAMINATION SEGMENT

Print Conventional Form and Address Slip (New)

:-DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the weblink will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50 KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI


resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in **CAPITAL LETTERS** is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-



परिशिष्ट

उम्र 30 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-11)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....

तहसील..... नगर.....

जिला..... उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश,

1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....

तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तर प्रदेश के ग्राम

तहसील

नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर.....

दिनांक

पूरा नाम.....

मुहर..... पद नाम.....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट /

तहसीलदार

/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-1)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री निवासी

..... तहसील

..... नगर..... जिला.....

उत्तर प्रदेश

राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति

उम्र 30 के लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि 30 प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो 30 प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आवश्यक नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

..... तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तर प्रदेश के ग्राम

तहसील

नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान

हस्ताक्षर.....

दिनांक

पूरा नाम.....

मुहर..... पद नाम.....

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट /

तहसीलदार

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL ANNEXURE

Certificate No.

Date

DISABILITY CERTIFICATE

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

This is to certified that Shri/Smt/Kum son/wife/ daughter of Shri age

Sex identification mark

(c)..... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

(i) BL-Both legs affected but not arms.

(ii) BA-Both arms affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness or grip

(iii) BLA-Both legs and both arms affected

(iv) OL-One leg affected (right or left)

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(v) OA-One arm affected

(a) Impaired reach

(b) Weakness of grip

(c) Ataxic

(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)

(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:

(i) B-Blind

(ii) PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

(i) D-Deaf

(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of years months.*

3. Percentage of disability in his/her case is percent.

4. Sh./Smt/Kum meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers

Yes/No

(ii) PP-can perform work by pulling & pushing

Yes/No

(iii) L-can perform work by lifting

Yes/No

(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching

Yes/No

(v) B-can perform work by bending

Yes/No

(vi) S-can perform work by sitting

Yes/No

(vii) ST-can perform work by standing

Yes/No

(viii) W-can perform work by walking

Yes/No

पृष्ठ का शेष

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती निवासी ग्राम- नगर-

..... जिला-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सेनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित)

पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान: हस्ताक्षर.....

दिनांक: पूरा नाम.....

पदनाम.....

मुहर.....

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के कार्य - 1 से 4 प्रारूप - 1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की

सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मती / वुडमारी

आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री

..... निवासी

..... पूरा पता ने दिनांक

से दिनांक तक

(स्थान का नाम) में आयोजित

(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की

प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में

स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम

दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर

दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक नाम.....

पद

संस्था का नाम.....

मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय

प्रतियोगिता में

भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम

..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति

के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री

..... निवासी (पूरा पता) ने दिनांक

..... से दिनांक तक

..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय

..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में

स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम)

में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक नाम.....

पद संस्था का नाम.....

मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से

किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से

अन्तर्रिंश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की

सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मती/वुडमारी

..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री

..... निवास (पूरा नाम)

..... विश्वविद्यालय की कक्षा

..... के विद्यार्थी ने दिनांक

से दिनांक तक (स्थान का

नाम) में आयोजित अन्तर्रिंश्वविद्यालय.....

(क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में.....

विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह

प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक नाम.....

पद पद.....

संस्था का नाम.....

मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद

द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में

भाग

लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश

..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री

..... निवासा (पूरा पता)

..... स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने

दिनांक से दिनांक तक

..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स

की (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम)

प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग

लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में

..... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के

आधार पर दिया गया है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक नाम.....

पद पद.....

संस्था का नाम.....

मुहर.....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट

ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/ शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत

रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव